मयूर विहार में कार से दस लोग कुचले गए, महिला की मौत

बुधवार रात करीब 9:30 बजे की घटना, घायलों में दो की हालत नाजुक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 मार्च।

दिल्ली के मयूर विहार फेस-3 स्थित बुध बाजार में एक बेकाबू कार से 10 लोग कुचले गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। जबकि दो की हालत नाजुक है।

जानकारी के अनुसार, हादसा बुधवार रात लगभग साढ़े नौ बजे हुआ। जहां सिल्वर कलर एक कार ने 10 लोगों को कुचल दिया। इनमें से गाजियाबाद जिले के हयात नगर की खोड़ा कालोनी निवासी महिला सीता देवी (22) की मौत हो गई। अन्य घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में आरोपी भी घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। आरोपी हिरासत में है और पुलिस कानूनी कार्यवाही कर रही है।

हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार कार बाजार में घुस जाती है। इस दौरान दुकान में मौजूद लोग, रेहड़ी और खरीदार कर रहे लोगों को रौंदती दिखाई दे रही है। हादसे के बाद लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान बाजार में मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने कार में भी तोड़फोड़ कर दी है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिला पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों को मामूली की चोट लगी है। दो की हालत नाजुक है। मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से हादसे की पड़ताल की जा रही है।

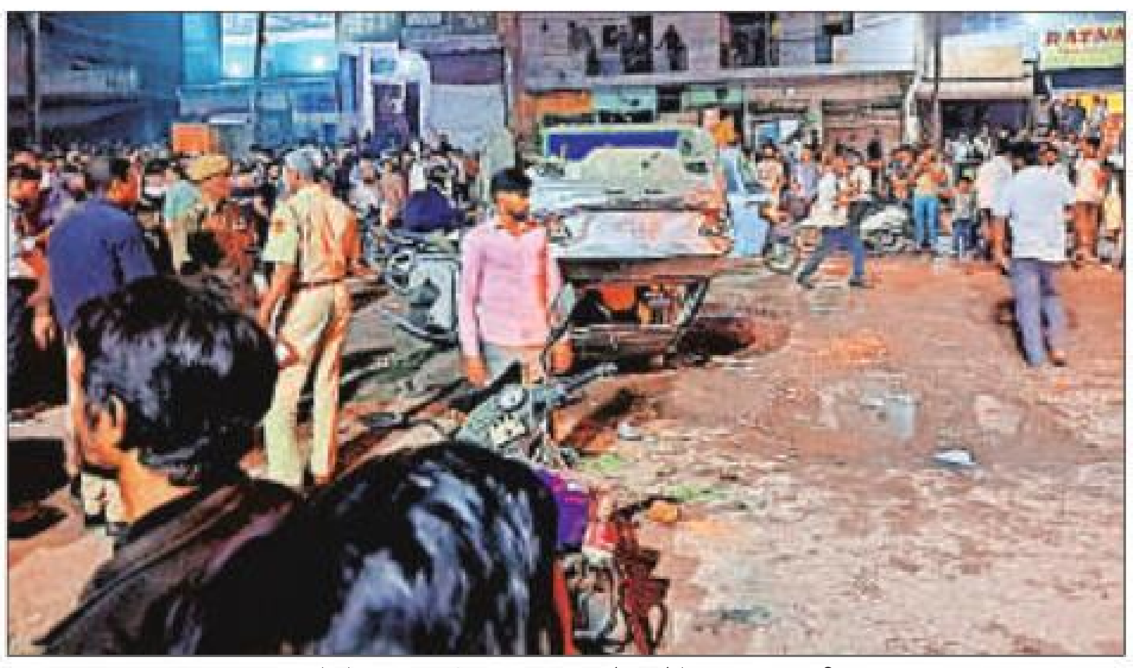

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार और मौके पर जमा भीड़।

हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली, योगेंद्र चंदोलिया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार

पहली सूची में लोकसभा की पांच सीट पर नाम घोषित किए थे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 मार्च।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली इकाई के महासचिवों-हर्ष मल्होत्रा और योगेंद्र चंदोलिया को लोकसभा चुनाव के लिए क्रमशः पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया है।

मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर की जगह टिकट दिया गया है, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में क्रिकेट संबंधी व्यस्तताओं का हवाला देकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से राजनीतिक दायित्वों से मुक्त करने का अनुरोध किया था। मल्होत्रा तत्कालीन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर रहे थे। उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर चंदोलिया को भाजपा ने उत्तर पश्चिम दिल्ली (सुरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से निवर्तमान सांसद व पंजाबी सूफी गायक हंसराज हंस की जगह उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने पहले सात लोकसभा सीटों में से पांच पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से दो बार के सांसद मनोज तिवारी को छोड़कर भाजपा ने अपने सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में मल्होत्रा तथा चंदोलिया को पार्टी उम्मीदवार बनने पर बधाई दी और कहा कि दिल्ली सभी सात लोकसभा सीट पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करके नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है।

भाजपा कार्यालय में दोनों उम्मीदवारों का किया स्वागत : सचदेवा ने कहा है कि मैं अध्यक्ष के रूप में गर्व महसूस कर रहा हूं कि पार्टी के नेतृत्व ने सभी सातों उम्मीदवारों को मजबूत संगठनात्मक पृष्ठभूमि के साथ चुना है। इस चुनाव में हमारे कार्यकर्ता अपने लिए लड़ेंगे। इस मौके पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों उम्मीदवारों को मिठाई खिलाई और शुभकामनाएं दी।

हर्ष मल्होत्रा

योगेंद्र चंदोलिया

मनोज तिवारी को छोड़कर दिल्ली की सभी सीट पर भाजपा के नए चेहरे

नई दिल्ली, 13 मार्च (संवाददाता)।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से योगेंद्र चंदोलिया की उम्मीदवारी के घोषणा का स्वागत किया। इस बार भाजपा ने मनोज तिवारी को छोड़कर दिल्ली की बाकी सभी सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे हैं। इस बार उत्तर पश्चिम सीट से योगेंद्र चंदोलिया को मौका दिया है और पूर्व सांसद हंसराज हंस का पत्ता काट दिया है। भाजपा की ओर से दिल्ली में तीन पूर्व महापौर को चुनावी मैदान में उतारा गया। योगेंद्र चंदोलिया एकीकृत निगम में जहां स्थायी समिति के चेयरमैन रहे हैं तो वह एकीकरण से पहले उत्तरी निगम में महापौर भी रहे हैं।

गाजीपुर इलाके में युवक की चाकू घोंपकर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 मार्च।

आरोपी ने मामूली कहासुनी के बाद दिया वारदात को अंजाम

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त धर्मेंद्र (30) के रूप में हुई है। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी शीशपाल को गिरफ्तार कर लिया है।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कहासुनी के बाद गुस्से में उसने वारदात को अंजाम दिया है। लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। बाद में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पीसीआर की मदद से धर्मेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर क्राइम टीम के अलावा एफएसएल को बुला लिया गया। मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद गाजीपुर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

रामलीला मैदान में किसान महापंचायत आज, दिशा-निर्देश जारी

ट्रैक्टरों पर पाबंदी, 5000 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 मार्च।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समेत कई मांगों को लेकर किसान आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कर रहे हैं। महापंचायत को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। बुधवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किए।

दिल्ली पुलिस ने 'किसान मजदूर महापंचायत' आयोजित करने की सशर्त अनुमति दी है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को कहा केवल पांच हजार लोगों को रामलीला मैदान में जुटने की अनुमति दी गई है। वहां कोई ट्रैक्टर ट्राली नहीं जाएगी। पुलिस ने यात्रियों को मध्य दिल्ली की ओर जाने वाली सड़कों से बचने के सलाह दी है।

बता दें तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 2020-21 के किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा है कि वे रामलीला मैदान में 'किसान मजदूर महापंचायत' आयोजित करेंगे। जहां सरकार की नीतियों के खिलाफ 'लड़ाई तेज करने' का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त (केंद्रीय) एम हर्ष वर्धन ने किसानों ने उन्हें शपथ पत्र दिया है। दोपहर 2.30 बजे के बाद अपना कार्यक्रम समाप्त होने के तुरंत बाद मैदान खाली करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर वे वादे का पालन नहीं करते हैं और दिल्ली में कानून-व्यवस्था तोड़ने में शामिल होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बयान के मुताबिक, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बाराखंभा रोड, बहादुरशाह जफर मार्ग, टॉल्स्टॉय मार्ग, आसफ अली रोड, जय सिंह रोड, स्वामी विवेकानंद मार्ग, संसद मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, मिंटो रोड, अशोक दिल्ली में किसानों के जुटने से रोड, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर, कनॉट सर्कस, भवभूति मार्ग, डीडीयू मार्ग और चमन लाल मार्ग प्रभावित होने की संभावना है।

छात्र संघ चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत ने जेएनयू का रुख पूछा

नई दिल्ली, 13 मार्च (संवाददाता)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से आगामी छात्र संघ चुनावों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उसका रुख पूछा। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने जेएनयू को उसके रजिस्ट्रार और डीन आफ स्टूडेंट्स के माध्यम से 15 मार्च से पहले जवाब दाखिल करने को कहा। उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की है। जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 22 मार्च को होना है और नतीजे 24 मार्च को आएंगे। विश्वविद्यालय के एक छात्र द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन कर हो रहे हैं।

पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को राहत

डीडीए की शिविर तोड़ने की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 मार्च ।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मजनू का टीला इलाके में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उनके शिविरों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करेगा।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने चार मार्च के सार्वजनिक नोटिस के खिलाफ दायर एक याचिका पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। क्षेत्र में लगाए गए नोटिस में निवासियों को शिविर खाली करने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर इसे ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई है। मंगलवार को पारित एक अंतरिम आदेश में, अदालत ने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पाकिस्तानी नागरिकों की मदद से जुड़े एक अन्य मामले में केंद्र की ओर से पहले एक बयान दिया गया था। अदालत ने मामले को 19 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि भारत के तत्कालीन अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने बयान दिया था कि भारत संघ पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू समुदाय को हरसंभव सहायता देने का प्रयास करेगा। डब्लूपी(सी) संख्या 3712/2013 में दिनांक 29 मई, 2013 के आदेश में दर्ज इस बयान पर गौर करते हुए सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाता है।

एनजीटी ने दिया था अतिक्रमण हटाने का निर्देश

याचिकाकर्ता ने कहा है कि वर्षों से मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को अधिकारियों द्वारा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, और उनके बच्चे पास के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। डीडीए के वकील ने कहा कि एनजीटी ने यमुना डूब क्षेत्र में गुरुद्वारा मजनू का टीला के आसपास से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था।

होटलों और हवाई अड्डों पर धूम्रपान स्थानों को बंद करने का अनुरोध

नई दिल्ली, 13 मार्च (संवाददाता)।

धूम्रपान निषेध दिवस के मौके पर चिकित्सकों, कैंसर पीड़ितों और होटल संघों ने सरकार से होटलों, रेस्तरां और हवाई अड्डों पर निर्धारित धूम्रपान स्थानों को बंद का अनुरोध किया है।

सीओटीपीए 2003 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने और भारत को 100 प्रतिशत धूम्रपान मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सरकार की सराहना करते हुए, उन्होंने धूम्रपान क्षेत्रों की अनुमति देने वाले मौजूदा प्रावधान को तत्काल हटाने की अपील की। 'मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर' के अध्यक्ष हरित चतुर्वेदी ने कहा कि धूम्रपान फेफड़ों की कार्यक्षमता को खराब करता है। शत-प्रतिशत धूम्रपान-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए होटलों, रेस्तरां और हवाई अड्डों पर भी धूम्रपान क्षेत्रों को समाप्त किया जाना चाहिए।

श्रीकान्त केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
सीआईएन: L24119DL1981PLC040762
रजि. कार्यालय: ए-37, मायापुरी इंडस्ट्रीज एरिया, फेस- II, नई दिल्ली - 110 064
मेल आईडी: rohit.v72@gmail.com
टेलीफोन नंबर 011-28117666

सदस्यों को सूचना

सदस्यों को सूचना दी जाती है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के तहत डाक मतपत्र फॉर्म और स्व के साथ डाक मतपत्र भेजने का काम पूरा कर लिया है। प्री-पेड डाक लिफाफा 11 मार्च, 2024 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाए, जिनके नाम शुक्रवार, 8 मार्च, 2024 ("कट-ऑफ डेट") को अनुमोदन प्राप्त करने के संकल्प के संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 और लागू कानून ("प्रस्तावित संकल्प") के प्रावधानों के अनुसार कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए शेयरधारक) डाक मतपत्र द्वारा।

पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान 15 मार्च, 2024 को शुरू होगा। नोटिस और पोस्टल बैलेट फॉर्म कंपनी की वेबसाइट https://shreekantchem.info पर भी उपलब्ध है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र आयोजित करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री रवि मोहन गुप्ता को "जांचकर्ता" के रूप में नियुक्त किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान रखें कि विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित भौतिक डाक मतपत्र रविवार, 14 अप्रैल, 2024 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले संवीक्षक के पास पहुंच जाना चाहिए।

मतदान की सुविधा शुक्रवार, 15 मार्च, 2024 को प्रातः 9:00 बजे से रविवार, 14 अप्रैल, 2024 को शाम 05:00 बजे तक उपलब्ध होगी। उक्त तिथि के बाद प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ऐसे सदस्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ माना जाएगा। डाक मतपत्र का परिणाम सोमवार, 15 अप्रैल, 2024 तक या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी शेयरधारकों से सभी डाक मतपत्र प्राप्त होते ही घोषित किया जाएगा। स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट https://shreekantchem.info पर उपलब्ध होंगे। और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। डाक मतपत्र द्वारा मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया rohit.v72@gmail.com पर एक ई-मेल भेजें।

बोर्ड की आज्ञानुसार
श्रीकांत केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/-
मोहित वर्मा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00052700

दिनांक: 14.03.2024
स्थान : दिल्ली

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-I,
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 25419177, 25412977 ई-मेल: sbi.05169@sbi.co.in

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

एतद्वारा एक नोटिस दिया जाता है कि **उधारकर्ता** मैसर्स सनातन लॉजिस्टिक्स प्रा. लि., श्री कुशल राज सिंह, (निदेशक एवं गारंटर), श्री भजन सिंह, (निदेशक एवं गारंटर), श्रीमती अर्चना चौधरी पत्नी श्री भजन सिंह, (बंधककर्ता एवं गारंटर), श्री विशाल सिंह यादव पुत्र अनिरुद्ध सिंह यादव, (बंधककर्ता एवं गारंटर), श्रीमती अर्चना यादव पत्नी श्री वी एस यादव, (बंधककर्ता एवं गारंटर), श्री नरेश कुमार पुत्र श्री राम चंदर, (गारंटर), श्रीमती राम भतेरी पत्नी श्री महेंद्र शर्मा, (बंधककर्ता और गारंटर), श्रीमती कांता पत्नी श्री जयबीर सिंह, (बंधककर्ता एवं गारंटर), से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक कर चुके हैं और ऋणों कोगैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया गया है और इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

कर्जदार का नाम	संपत्तियों का विवरण / लागू की जाने वाली सुरक्षित संपत्तियों का पता	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि (दिनांक 06.02.2024 तक)
मैसर्स सनातन लॉजिस्टिक्स प्रा. लि., 647, पेस सिटी-II, सेक्टर-37, गुड़गांव, हरियाणा-122002 श्री कुशल राज सिंह, (निदेशक एवं गारंटर), मकान नं. 1267, सेक्टर-4, गुड़गांव, हरियाणा-122002 श्री भजन सिंह, (निदेशक एवं गारंटर), मकान नं. 1267, सेक्टर-4, गुड़गांव, हरियाणा-122002 श्रीमती अर्चना चौधरी पत्नी श्री भजन सिंह, (बंधककर्ता एवं गारंटर), मकान नं. 1267, सेक्टर-4, गुड़गांव, हरियाणा-122002 श्री विशाल सिंह यादव पुत्र अनिरुद्ध सिंह यादव, (बंधककर्ता एवं गारंटर), मकान नं. 348, अर्बन एस्टेट, सेक्टर-46, फरीदाबाद हरियाणा-122010 श्रीमती अर्चना यादव पत्नी श्री वी एस यादव, (बंधककर्ता एवं गारंटर), मकान नंबर 348, अर्बन एस्टेट, सेक्टर-46, फरीदाबाद हरियाणा-122010 श्री नरेश कुमार पुत्र श्री राम चंदर, (गारंटर), गांव और पोस्ट: सूर्यवाला हिसार, हरियाणा-125001 श्रीमती राम भतेरी पत्नी श्री महेंद्र शर्मा, (बंधककर्ता और गारंटर), गांव और पोस्ट: नियोली कलां, हिसार हरियाणा-125004 श्रीमती कांता पत्नी श्री जयबीर सिंह, (बंधककर्ता एवं गारंटर), मकान नं. 855-ए/30, विकास नगर, भिवानी रोड, जिंद हरियाणा-126102	1. साम्यिक बंधक रिहायशी प्लॉट जोकि फ्लैट नं. 348, सेक्टर-46, अर्बन एस्टेट फरीदाबाद हरियाणा-122009 में स्थित, कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग मी. (358.80 वर्ग गज), यह सम्पत्ति श्री विशाल सिंह यादव पुत्र श्री अनिरुद्ध सिंह यादव एवं श्रीमती अर्चना यादव पत्नी श्री वी एस यादव के नाम पर है। 2. साम्यिक बंधक निर्मित सम्पत्ति स्टोन क्रशर जोकि खेवट खाता नं. 315/418 मिन, खसरा नं. 2385(2-7-0), 2408/2 (1-17-0) एवं 2409(2-14-0) में से गांव-शिखोपुर, तालुका-मानेसर गुड़गांव, शिखोपुर, 122004 में स्थित, कुल क्षेत्रफल 2421 वर्ग. गज, यह सम्पत्ति श्रीमती अर्चना चौधरी पत्नी श्री भजन सिंह के नाम पर है। 3. साम्यिक बंधक रिहायशी बिल्डिंग मकान नं. 1000ए/23, अब 782/23, राम कॉलोनी, जिंद, राम कॉलोनी-126102, (शहरी), कुल क्षेत्रफल 408 वर्ग. गज, यह सम्पत्ति श्रीमती राम भतेरी पत्नी श्री महेंद्र शर्मा के नाम पर है। 4. साम्यिक बंधक रिहायशी बिल्डिंग मकान नं. 2209/30, जोकि विकास नगर, जिंद हरियाणा-126102 (शहरी) कुल क्षेत्रफल 162 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती कांता पत्नी जयबीर सिंह के नाम पर है।	06-02-2024 एनपीए की तिथि 28-11-2019	रु. 22,60,01,714.20 (रु. बाईस करोड़ साठ लाख एक हजार सात सौ चौदह और पैसे बीस मात्र) दिनांक 06.02.2024 तक और भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार, लागत इत्यादि

नोटिस की प्रतिस्थापित तामील हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त ऋणी और/या उनके गारंटर (जब भी लागू हो) को एतद्वारा इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर अवधि समाप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत इस नोटिस की तारीख से 60 दिन,
कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक : 13.03.2024, स्थान : दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट कार्यालय : ए-11, सेक्टर-24, नोएडा-201301
फोन नं. : 0120-2412294, 2412445 | फैक्स : 0120-2412218

संदर्भ सं. : एनएफएल/एफपीएस/एग्रो केम/टोलिंग/2024/01 दिनांक : 14.03.2024

ई-प्रोक्योरमेंट नोटिस

विभिन्न राज्यों में विपणन के लिए टोलिंग व्यवस्था के तहत कृषि रसायनों की आपूर्ति के लिए टोलिंग इकाइयों के पैनल में शामिल होने के लिए संभावित बोलीदाताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विवरण के लिए वेबसाइट देखें: https://etenders.gov.in/eprocure/app (ई-टेंडरिंग) और www.nationalfertilizers.com (होमपेज)। ई-निविदा संख्या 2024_NFL_190900_1। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि/आवेदन दस्तावेज खोलने की अंतिम तिथि - 02.04.2024 को 15.30 बजे/03.04.2024 को 15.30 बजे है। इस निविदा का कोई भी शुद्धिपत्र केवल हमारी वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा।

उप महाप्रबंधक (प्रभारी) एफपीएस (आई एंड डी)

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड
TATA POWER-DDL
टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम
रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-110009
फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com
CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाइट : www.tatapower-ddl.com

निविदा सूचना आमंत्रित March 14, 2024

टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/धरोहर जमा राशि (रु)	बोली दस्तावेज की बिक्री	बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय/ निविदा खोलने की तारीख और समय
TPDDL/ENGG/ENQ/200001649/23-24 Microsoft EA Renewal FY24-25	4 Cr	14.03.2024	04.04.2024 1600 Hrs 04.04.2024 1630 Hrs

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध
website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone →Tender / Corrigendum Documents
Contracts - 011-66112222

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071
शाखा कार्यालय: 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) "जैसा है जहां है आधार" और "जो है यही है" के आधार पर यहां नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर के नाम	13-2 सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	11.03.2024 तक वर्तमान बकाया शेष	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. में	ई-नीलामी की तिथि तथा समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय तथा स्थान
1	30809440000070 30809670000028 तथा 30809670000284	1) मेसर्स सावी, इसके प्रोपराइटर श्री धीरेंद्र कुमार भारती द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री धीरेंद्र कुमार भारती (कर्जदार), प्रोपराइटर मेसर्स सावी, 3)श्रीमती सावित्री रामवतार (गारंटर)	07.06.2022	21.10.2023	रु. 21,13,728.14 (रुपये इक्कीस लाख तेरह हजार सात सौ अट्ठाईस एवं चौदह पैसे मात्र)	30.03.2024 को 09:00 बजे पूर्वा. से 05:30 बजे अप.	रु. 12,76,000/- (रुपये बारह लाख छिहत्तर मात्र)	रु. 1,27,600/- (रुपये एक लाख सत्ताईस हजार छः सौ मात्र)	16.04.2024 को 11.00 बजे पूर्वा.	15.04.2024 को 5.00 बजे अप. से पूर्व, जमा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय : 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

प्रतिभूत संपत्तियों का विवरण: सम्पत्ति सं. एमपीएल नं. डब्ल्यूजेड 21 में छत के अधिकार सहित तृतीय तल के बाईं ओर का निर्मित भाग, भूमि माप 60 वर्ग गज पर निर्मित, खसरा नं. 323 में से, ग्राम खामपुर राया, नई दिल्ली के क्षेत्र में, नई दिल्ली, श्रीमती सावित्री रामअवतार पत्नी श्री धीरेन्द्र कुमार भारती के स्वामित्व में, सीमाएं : पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : गली, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति

संपत्तियों को "जैसा है जहां है आधार" और "जो है यही है" के आधार पर बेजा जा रहा है और ई-नीलामी 'ऑन लाइन' आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://bankauctions.in तथा www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मैसर्स 4क्लोजर; श्री भास्कर नायडू से संपर्क नंबर: 8142000809/8142000061. ईमेल आईडी: info@bankauctions.in / subbarao@bankauctions.in पर संपर्क कर सकते हैं।
ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी श्री राकेश शर्मा (मोबाइल नं. 7230070463), श्री शशि कुमार (मोबाइल नं. 8700277112) तथा श्री रंजन नाइक (मो. 9590858249) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, हित के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/गारंटर/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है। कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी।

दिनांक: 14.03.2024, स्थान: दिल्ली
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

www.readwhere.com